(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 29/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 25 अगस्त, 2023

विषयः वर्ष 2023–24 (अक्तूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु यूरोपीय संघ द्वारा 5841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा के आंबटन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्ष 2023–24 (अक्तूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात की 5841 मीट्रिक टन मात्रा का आबंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूरोपीय संघ को एपीडा की इकाई और मात्रा की पात्रता की सिफारिशों के आधार पर चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्‌गम प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट प्रमाणन सम्बन्धी अन्य आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

4. यूरोपीय संघ को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा कोटा प्रचालित होगा।

5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

6. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

वर्ष 2023–24 (अक्तूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने के लिए 5841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
25.8.2023
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/(खण्ड VIII)/ई–20749 से जारी)